

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

नीलामी सूचना

नीलामी की तिथि : दिनांक 28.03.2018

नीलामी का स्थान : M- Block
उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'एम' ब्लाक में स्थिति 12 दुकानें (भू-तल) 9 दुकानें : 1 टेवल ऐजेण्ट, 1 पैथॉलॉजी, 1 मिल्क बूथ पराग, 2 फेस जूस एवं फल, 4 फोटोकॉपी

एवं (प्रथम तल) 3 दुकानें :

1 फोटोग्राफी, 1 इण्टरनेट कैफे, 1 मेडिसिन शॉप

को वार्षिक अनुद्धरण पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

27 केबिनों (भू-तल) 16 केबिन :

1 स्टेशनरी सेलर, 1 लॉ बुक सेलर, 14 टाईपिस्ट,

एवं (प्रथम तल) 11 केबिन :

1 स्टेशनरी सेलर, 1 लाई चना एवं पॉपकान, 1 कम्प्यूटर सर्विस सेण्टर, 8 टाईपिस्ट

उपरोक्त वर्णित दुकानों एवं केबिनों की नीलामी दिनांक 28.03.2018 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर में की जायेगी। दुकानों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.03.2018 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रुपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 27.03.2018 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रुपये 50.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) केबिन के सम्बन्ध में तथा रुपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दुकानों / केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट नम्बर- 6 के निकट, फैजाबाद रोड की तरफ स्थित 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.03.2018 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक 21.03.2018

वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

कुल दुकाने – 12

क्रम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञाप्ति पर दिया जाना है)
भूतल			
1	1	174.21	ट्रेवल एजेण्ट हेतु Travel Agent
2	2	184.99	पैथॉलाजी टेस्ट व कलेक्सन सेन्टर के सैम्पेल एकत्र करने की दुकान हेतु Collection Center of Samples for Pathological Tests
3	4	185.82	मिल्क बूथ (पराग) हेतु
4	5	189.15	फ्रेस जूस तथा फ्रेस कट की दुकान हेतु Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
5	6	182.50	फ्रेस जूस तथा फ्रेस कट की दुकान हेतु Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
6	11	183.49	फोटोकापी दुकान हेतु
7	12	188.40	फोटोकापी दुकान हेतु
8	16	172.00	फोटोकापी दुकान हेतु
9	17	172.00	फोटोकापी दुकान हेतु
प्रथम तल			
10	101	174.21	फोटोग्राफी हेतु Photography
11	106	182.50	इण्टरनेट कैफे (बिना तार के कनेक्सन) Internet Cafe for E-Mail / Scanned Mail / Digital Signature [without wired connection (through dongle /any other wireless mode)]
12	107	179.19	दवाई की दुकान हेतु Medicine Shop

कुल केबिन — 27

क्रम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञाप्ति पर दिया जाना है)
भूतल			
1	21	38	स्टेशनरी सेलर
2	24	38	लॉ बुक सेलर
3	31	38	टाईपिस्ट
4	32	38	टाईपिस्ट
5	40	38	टाईपिस्ट
6	42	39	टाईपिस्ट
7	47	38.52	टाईपिस्ट
8	48	38.52	टाईपिस्ट
9	50	38.52	टाईपिस्ट
10	52	39.58	टाईपिस्ट
11	54	39.58	टाईपिस्ट
12	55	39.58	टाईपिस्ट
13	56	39.58	टाईपिस्ट
14	57	38.52	टाईपिस्ट
15	58	38.52	टाईपिस्ट
16	59	38.52	टाईपिस्ट
प्रथम तल			
17	115	38	टाईपिस्ट
18	116	38	टाईपिस्ट
19	117	38	टाईपिस्ट
20	118	38	टाईपिस्ट
21	119	38	स्टेशनरी सेलर
22	120	38	कम्प्यूटर सर्विस सेण्टर / कम्प्यूटर स्टेशनरी केबिल
23	121	38	लाई चना एवं पॉपकर्न
24	122	38	टाईपिस्ट
25	123	38	टाईपिस्ट

26	124	38	टाईपिस्ट
27	125	38	टाईपिस्ट

नीलामी की शर्तें

1. दुकानें, 'जहाँ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक **01.04.2018** से दिनांक **31.03.2019** तक अनुज्ञाप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेगी।
2. दुकानों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि **रु0 20,000/-** एवं केबिनों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि **रु0 5,000/-** नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञाप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन—पत्र पर, जिसका मूल्य रुपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षण' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **27.3.2018** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक **27.3.2018** तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षण' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।
4. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षण' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **27.3.2018** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
5. नीलाम होने वाली दुकानों को नीलामी वाले दिन नीलामी के समय से **2 घण्टे पूर्व** गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
6. किसी भी दुकान की बोली हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञाप्ति शुल्क) **रु0 2,30,000.00** है। किसी भी केबिन की बोली हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञाप्ति शुल्क) **रु0 20,000/-** है।
7. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की **25 प्रतिशत धनराशि (अग्रिम जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि)** तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा

25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों को पालन किया जायेगा।

8. शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 25 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।
9. नीलामी की गयी दुकान का कब्जा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा, जबकि उसने दुकान के अनुज्ञप्ति शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया हो।
10. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान लेने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।
11. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31. 03.2019 तक दुकान से अपना सामान हटा कर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देगा।
12. जिस उद्देश्य हेतु दुकान की नीलामी की जायेगी, वह दुकान उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान में कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा—कचरा उसी कूड़ादान में डालेगा।
14. बोली में सफल व्यक्ति दुकान की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान को कोई नुकसान पहुंचायेगा।
15. दुकान में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं दुकान रखने वाली की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चारी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
16. दुकानों का संचालन सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 प्रत्यके कार्य दिवस को सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।

17. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब-मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार प्रति माह ३० प्र० में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा।
18. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह स्वयं अपने खर्च पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी।
19. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान अनुज्ञाप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान अनुज्ञाप्ति पर नहीं दी जायेगी।
20. जिस व्यक्ति को दुकान अनुज्ञाप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति का वह दुकान संचालन हेतु नहीं देगा।
21. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञाप्ति पर दुकान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नहीं कर सकता है।
22. फोटोकापी की दुकान के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञाप्ति पर दी जाती है, वह दुकान में अधिकतम तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता है।
23. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
24. यदि अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञाप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
25. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।
26. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
27. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी दी जायेगी।

आज्ञा से,

वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

केबिन हेतु

आवेदनकर्ता
का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'M - Block' में स्थित
केबिन को वार्षिक अनुज्ञाप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी :
(जो लागू हो उस पर टिक √ कर दे) (1) स्टेशनरी सेलर हेतु _____
(2) लॉ बुक सेलर हेतु _____
(3) टाईपिस्ट हेतु _____
(4) लाई चना एवं पॉपकर्न हेतु _____
(5) कम्प्यूटर सर्विस सेण्टर/
कम्प्यूटर स्टेशनरी केबिन हेतु _____
2. प्रार्थी का नाम / फर्म का नाम :
(जिसके नाम आवेदन किया जाना है)
3. पिता / पति का नाम / :
प्रोपराइटर का नाम
4. लिंग :
5. उम्र :
6. पता :
7. राष्ट्रीयता :
8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से :
डाउन लोड किया गया है तो

डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले
बैंक का नाम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

दिनांक : / 03 / 2018

आवेदनकर्ता के
हस्ताक्षर

संलग्नक

आवेदनकर्ता
का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

दुकान हेतु

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित
दुकान को वार्षिक अनुज्ञाप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी :
(जो लागू हो उस पर टिक √ कर दे) (1) फोटोकापी हेतु _____
(2) फोटोग्राफी हेतु _____
(3) ट्रेवल एजेण्ट हेतु _____
(4) कलेक्शन सेण्टर ऑफ सैम्पल फॉर पैथालॉजिकल टेस्ट हेतु _____
(5) मिल्क बूथ (पराग) हेतु _____
(6) फेस जूस एण्ड फेस कट फूट्स हेतु _____
(7) इन्टरनेट कैफे हेतु _____
(8) मेडिसिन शॉप हेतु _____
2. प्रार्थी का नाम / फर्म का नाम :
(जिसके नाम आवेदन किया जाना है)
3. पिता / पति का नाम / :
प्रोपराइटर का नाम
4. लिंग : .
5. उम्र : .
6. पता : .
7. राष्ट्रीयता : .
8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से :
डाउन लोड किया गया है तो
डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले
बैंक का नाम
डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम
डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या
डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

दिनांक : / 03 / 2018

संलग्नक

आवेदनकर्ता के
हस्ताक्षर

Special Terms & Conditions of auction of Shops and Cabins :

The special terms & conditions for auction of shops and cabins :

Sl.No.	Type & Purpose	Terms & Conditions.
1.	For Photocopy, Photography, Typist, stationery seller and Law Book Sellers	All the terms & conditions which were prevailing during the last auction in the year 2017 will remain same.
2.	Collection Center of Samples for Pathological Tests	The License Holder will run his shop as per norms prescribed by Medical Council and also ensure that all the biomedical/clinical waste will be disposed off, daily, by the License Holder as per prescribed norms of the Medical Council.
3.	Milk Booth (Parag)	The License Holder shall keep the dustbin and ensure cleanliness in and around the Shop.
4.	Travel Agent / Internet Cafe / Computer Servicer Centre / Computer Stationery	The License Holder shall arrange for internet connection on his own (through dongle or any other device). High Court will not provide any kind of wired connection.
5.	Medicine	The License Holder will ensure for having a license for selling the medicine.
6.	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits	The License Holder shall ensure only fresh juice and fresh cut fruits are served in the Shop.
7.	Lai Channa & Pop Corn	The License Holder will not use any kind of gas cylinder / induction / heating equipment.